



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219203
CG-DL-E-28042020-219203

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1225]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2020/वैशाख 7, 1942

No. 1225]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2020/VAISAKHA 7, 1942

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1371(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ चौवनवां संशोधन नियम, 2020 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, "जल शक्ति मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग" उप शीर्षक के अधीन,
 - (i) प्रविष्टि 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"7क. नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और नदियों के प्रदूषण का उपशमन।";
 - (ii) प्रविष्टि 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"31. गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद); राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन।";
 - (iii) प्रविष्टि 32 का लोप किया जाएगा;
 - (iv) प्रविष्टि 33 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
"33क. राष्ट्रीय जल सूचना-विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी)।
33ख. उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम)।"

- 33ग. कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी)।
 33घ. गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी)।
 33ङ. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए)।"

राम नाथ कोविन्द
 राष्ट्रपति

[फा सं. 1/21/7/2019-मंत्रि.]
 आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1371(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifty Fourth Amendment Rules, 2019.
 (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading "MINISTRY OF JAL SHAKTI (JAL SHAKTI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN VIBHAG)",-
 - (i) after entry 7, the following entry shall be inserted, namely: -
 "7A. Conservation, development, management and abatement of pollution of rivers.";
 - (ii) for entry 31, the following entry shall be substituted, namely:-
 "31. National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga (National Ganga Council); National Mission for Clean Ganga.";
 - (iii) entry 32 shall be omitted;
 - (iv) after entry 33, the following entries shall be inserted, namely:-
 "33A. National Water Informatics Centre (NWIC).
 33B. North Eastern Regional Institute of Water and Land Management (NERIWALM).
 33C. Krishna River Management Board (KRMB).
 33D. Godavari River Management Board (GRMB).
 33E. Cauvery Water Management Authority (CWMA)."

RAM NATH KOVIND
 PRESIDENT

[F. No. 1/21/7/2019-Cab.]
 ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.